

जनपद कानपुर नगर में पुख्याया-घाटमपुर बिन्दकी मार्ग (एस0एच0-46) किमी0 22.00 से 54.00 किमी0 तक 4 लेन चौकीकरण में प्रभावित सरक्षित भूमि 29.586 हे0 के दो गुने 59.172 हे0 में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ की पत्र संख्या- 526/11-सी (क्षतिपूरक वनीकरण) दिनांक 09.09.2016 के कमांक 06 द्वारा निर्गत अनुसूचित दरें एवं 6.875 प्रतिशत सेन्टेज चार्जस जोड़ते हुए वनीकरण काय हेतु व्यय का सारांश (रू0 174 प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर)

क0 स0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)	अनुवर्ती वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् धनराशि (रू0 में)
1	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य	59.172	प्रति हे0	67545	3996773	4396450
2	द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य	59.172	प्रति हे0	103241	6108976	7330772
3	तृतीय चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	29861	1766935	2297016
4	चतुर्थ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)	59.172	प्रति हे0	29820	1764509	2470313
5	पंचम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)	59.172	प्रति हे0	25896	1532318	2298477
6	षष्ठम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10242	606040	969663
7	सप्तम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	10973	649294	1103800
8	अष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठम वर्ष)	59.172	प्रति हे0	8883	525625	946125
			योग	286461.00	16950470	21812616

अर्थात्

21812600.00

दो करोड़ अठतराह लाख बारह हजार छः सौ मात्र

||| *Wish*

(एस0एस0 श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक -526 /11-सी- क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 09, 2016
सेवा में,

1. रागरत क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रशासी वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की दरों का निर्धारण।

संदर्भ:- नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-2115/11सी-क्षतिपूरक वनीकरण,
दिनांक 01.04.2016

नोडल,

वर्ष 2016-17 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी दरें वृक्षारोपण की सामान्य पारम्परिक प्रचलित प्रणाली के लिए निर्धारित हैं। 30प्र0 शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में 8' से 12' के पौधों का रोपण कराया जाना होता है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार वृक्षारोपण कार्यों का अनुरक्षण 7 से 10 वर्षों तक कराया जाना है ताकि वृक्षारोपण की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सके। अतः उक्त दरों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया। इस परियोजनार्थ अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, 30प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये याचक विभागों से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के लिये धनराशि माँगे जाने के प्रयोजन से विभिन्न माडलों हेतु क्षतिपूरक वनीकरण की सीलिंग दरों का निर्धारण एतदनुसार संलग्न कर प्रेषित किया जाता है। ये दरें श्रमिकों की मजदूरी दर रू0 174/- प्रति मोनव दिवस पर निर्धारित की गई हैं। उक्त दरें तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 30प्र0, लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय

(अरविन्द गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

01/09/2016 30प्र0, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 30प्र0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(अरविन्द गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

01/09/2016 30प्र0, लखनऊ।

आतिथ्यक वनीकरण हेतु सीलिंग दर 174/- प्रति मास देवस पर आधारित)

प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)

क्रमिक	वर्गीकरण का प्रकार	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)									
		प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)	प्रकार वर्गीकरण का विवरण (वर्गीकरण को भी)
1	सामान्य ग्रीन (1100 पीस प्रति हे०)	26780	24050	16841	17998	7173	20061	9072	9639	3060	3230
2	ऊपर ग्रीन (2000 पीस प्रति हे०)	55050	56350	19998	21387	7299	30321	10512	11169	4680	4940
3	बीहड़ ग्रीन (1100 पीस प्रति हे०)	32800	17930	15422	16936	7147	20032	9072	9639	3060	3230
4	पटोरी ग्रीन (1100 पीस प्रति हे०)	34000	16030	15048	16795	18194	19855	9072	9639	3060	3230
5	8 से 12 फुट पीस ब्लॉक वर्गीकरण आरंभिक पीस प्रति हे० काटदार तार से घेरा हुआ सहित सामान्य ग्रीन (विचाई हेतु वर्गित ग्राहिका) 625 पीस प्रति हे०	57780	94240	27940	27902	24230	9583	10267	8312	-	260254
6	8 से 12 फुट पीस ब्लॉक वर्गीकरण आरंभिक पीस प्रति हे० काटदार तार से घेरा हुआ सहित ऊपर ग्रीन (विचाई हेतु वर्गित ग्राहिका) 625 पीस प्रति हे०	63200	96600	27940	27902	24230	9583	10267	8312	-	268034
7	8 से 12 फुट पीस ब्लॉक वर्गीकरण आरंभिक पीस प्रति हे० काटदार तार से घेरा हुआ सहित पटोरी ग्रीन (विचाई हेतु वर्गित ग्राहिका) 625 पीस प्रति हे०	55070	94430	27940	27902	24230	9583	10267	8312	-	257734
8	8 से 12 फुट पीस ब्लॉक वर्गीकरण आरंभिक पीस प्रति हे० काटदार तार से घेरा हुआ सहित सामान्य ग्रीन (विचाई हेतु वर्गित ग्राहिका) 625 पीस प्रति हे०	50390	104580	43120	38882	28650	9513	10192	8232	-	293559
9	8 से 12 फुट पीस ब्लॉक वर्गीकरण आरंभिक पीस प्रति हे० काटदार तार से घेरा हुआ सहित ऊपर ग्रीन (विचाई हेतु वर्गित ग्राहिका) 625 पीस प्रति हे०	55800	110400	43120	38882	28650	9513	10192	8232	-	304789
10	8 से 12 फुट पीस ब्लॉक वर्गीकरण आरंभिक पीस प्रति हे० काटदार तार से घेरा हुआ सहित पटोरी ग्रीन (विचाई हेतु वर्गित ग्राहिका) 625 पीस प्रति हे०	47680	104780	43120	38882	28650	9513	10192	8232	-	291049

Contd---P.2

1. 48 થીજી પર ઉભા છે કેના કોઈ પણ કોઈ બાજુ માં ફેરવે છે											
11	જાતી કે ભાતી પાંચ પાંચ (સામાન્ય-આવૃત્તિઓ)	296050	210470	40345	43100	33220	14924	15990	8232	-	665931
12	સામાન્ય પાંચ (પાંચ પાંચ)	3268	336	348	71	17	19	20	-	-	4139
13	આવૃત્તિઓ માટે પાંચ (પાંચ પાંચ)	2068	333	142	71	17	18	20	-	-	2719

- [illegible]

- (iii) धीरे धीरे को दरों में धीरे धीरे प्रत्येक का कार्य प्रमाण वष में समितित है।
(iv) प्रत्येक वष में 10 परिवारों को 39 कार्य समितित है।
(v) सीमा दरों में धीरे का गुरु समितित है।
6. वष दरों में कम संख्या-5 व 7 में प्रमाण वष में सीमा कार्य (10 से 50 पर एक), इतना प्रमाण वष का (20 से 50 से एक) तथा सिवाइ हेतु वार्षिक प्रमाण (यदि से 25 सी) एवं द्वितीय वष में धीरे का सीमा वष 70 से 70-1 प्रति धीरे का प्रमाण है।
6. वष दरों में कम संख्या-5 व 11 में द्वितीय वष में धीरे का सीमा 70 से 70-1 प्रति धीरे का प्रमाण है।

- [illegible]

- [illegible]

(1941-1942)